

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

पत्रावली संख्या प.15(12)/ राज/वाद/2006 पार्ट  
आदेश

जयपुर, दिनांक:- 24.7.19

विधि विभाग के यथासंशोधित आदेश F-15(12)Raj/Vad/2006 दिनांक 26.10.10 के अनुसार विशेष फीस का भुगतान एवं परिपत्र दिनांक 10.02.1987 के अनुसार मा.उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु साधारण फीस का भुगतान विधि विभाग के द्वारा किया जाता है।

प्रायः यह देखा गया है कि उक्त विशेष फीस व साधारण फीस के बिल संबंधित विधि अधिकारियों द्वारा नियमानुसार प्रति माह प्रस्तुत नहीं किये जाकर एक साथ संपूर्ण वर्ष के फीस बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। इस प्रकार अधिक बिल एक साथ प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त फीस बिलों का परीक्षण कर भुगतान आदेश समयबद्ध रूप से जारी किये जाने में कठिनाई होती है। अतः इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार व्रत्येक माह के फीस बिल आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किये जावें।

एच  
(चंचल मिश्रा)


शासन सचिव, विधि

जयपुर, दिनांक:-

पत्रावली संख्या प.15(12)/ राज/वाद/2006 पार्ट

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव माननीय विधि मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. महाधिवक्ता राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकार्ड्स नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान।
7. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी / वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग जयपुर।
8. प्रशासक वादकरण जयपुर / जोधपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर।
10. प्रोग्रामर विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सहायक लेखाधिकारी राजकीय वादकरण विभाग जयपुर
12. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
13. रक्षित पत्रावली।

  
24/7/19  
विशिष्ट शासन सचिव,  
विधि (वादकरण) विभाग  
शासन सचिवालय जयपुर